

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

:- कार्यालय आदेश :-

का० आदेश सं०- 42

पटना-01, दिनांक- 12.06.17

रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2010 संबंधी वित्त विभागीय संकल्प सं०-7566 दिनांक 14.07.2010 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन नियमावली, (संशोधित) 2010 संबंधी वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-7549 दिनांक 13.07.2010 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 6068 दिनांक 13.06.2013 के आलोक में विभागीय स्त्रीनिंग समिति (निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन गठित) की दिनांक 25.05.2017 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निदेशालय नियोजन के क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मियों को नियमानुसार 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के उपरांत वित्तीय उन्नयन एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत सीधी भर्ती ग्रेड वेतन में 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत वित्त विभाग के संकल्प सं०-7566 दिनांक 14.07.2010 के परिशिष्ट 1 कडिका-2 के अनुसार रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अंतर्गत लाभ दिया गया।

निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ 4, 6, 7 एवं 8 में अंकित तिथि से प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन के लाभ की स्वीकृति दी गई।

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	प्रथम नियुक्ति की तिथि/वरीयता क्रमांक	बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन नियमावली, (संशोधित) 2010 अनुसार ए० सी० पी०		दिनांक 01.01.09 से रूपांतरित ए० सी० पी० 2010		
			12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि / वेतनमान् । पुनरीक्षित वेतनमान् 01.01.2006 से	24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतनमान्	10 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि/ वेतन वैण्ड/ ग्रेड वेतन	20 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतन वैण्ड/ ग्रेड वेतन	30 वर्षों की सेवा पूरी करने की तिथि एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/वेतन वैण्ड/ ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री चितरंजन चौबे, उ०व०लि०, 5200-20200 2400	04.12.89 व०क्र०-95	08.06.04 08.06.04 9300-34800 4200	-	-	08.06.14 08.06.14 9300-34800 4600	-
2	श्री अशोक कुमार सिंह, उ०व०लि०, 5200-20200 2400	20.02.90 व०क्र०-101	17.07.14 17.07.14 9300-34800 4200	-	-	-	-
3	श्री सुरेन्द्र कुमार-2, उ०व०लि०, 5200-20200 2400	20.02.90 व०क्र०-103	20.02.02 20.02.02 9300-34800 4200	-	-	20.02.10 20.02.10 9300-34800 4600	-
4	श्री संजय कुमार शर्मा, उ०व०लि०, 5200-20200 2400	27.02.91 व०क्र०-106	27.02.03 27.02.03 9300-34800 4200	-	-	27.02.11 27.02.11 9300-34800 4600	-

(Signature)

5	श्री शंकर कुमार महतो, उ०व०लि०, 5200-20200 2400	16.08.95 व०क्र०-111	27.05.12 27.05.12 9300-34800 4200	-	-	-	-
6	श्री उमेश प्रसाद तांती, तत्कालीन नि०व०लि०, 5200-20200 1900	09.06.05 व०क्र०-122	-	-	09.06.15 09.06.15 5200-20200 2000	-	-
7	श्री भगवान सिंह, तत्कालीन नि०व०लि०, 5200-20200 1900	15.06.05 व०क्र०-123	-	-	15.06.15 15.06.15 5200-20200 2000	-	-
8	श्री विनोद कुमार, तत्कालीन नि०व०लि०, 5200-20200 1900	22.07.05 व०क्र०-126	-	-	22.07.15 22.07.15 5200-20200 2000	-	-
9	श्री राज कुमार प्रसाद, तत्कालीन नि०व०लि०, 5200-20200 1900	01.02.06 व०क्र०-130	-	-	01.02.16 01.02.16 5200-20200 2000	-	-
10	श्री धीरज कुमार, तत्कालीन नि०व०लि०, 5200-20200 1900	20.07.06 व०क्र०-131	-	-	20.07.16 20.07.16 5200-20200 2000	-	-
11	श्री भारत भूषण साह, आशुटकक 9300-34800 4200	15.07.86	मिल चुका है।	-	-	मिल चुका है।	15.07.16 15.07.16 9300-34800 4600

(2) वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित कर्मियों का वेतन निर्धारण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003 के नियम-8 एवं सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना संशोधन नियमावली-2006 तथा वित्त विभाग के पत्रांक-2181 (वि०) (2) दिनांक-24.03.04 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या-7566 दिनांक 14.07.10 के आलोक में किया जायेगा।

(3) वित्तीय उन्नयन के आदेश में भविष्य में त्रुटि पाये जाने पर संशोधन का अधिकार निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना में सन्निहित होगा। इस आधार पर कम या अधिक भुगतान की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा एकमुस्त बसूली कर ली जायेगी। सेवानिवृत्त कर्मियों के मामले में वेतन सत्यापन के पश्चात् भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।



ह०/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

(क०प०उ०)

ज्ञापांक-1/स्थाप (क्षे)-प्रो-02/2015

पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि -महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप (क्षे)-प्रो-02/2015

पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि -सभी संबंधित जिला कोषागार/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप (क्षे)-प्रो-02/2015

पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपि-सभी उप निदेशक (नियोजन) मुख्यालय सहित/सभी सहायक निदेशक (नियोजन)/ सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी/लेखा शाखा/बजट शाखा/सभी संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/-


निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप (क्षे)-प्रो-02/2015 -595

पटना-01, दिनांक-12.06.17

प्रतिलिपि -आईटी0मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतू सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।



निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

U.K